भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षारता

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या:52

उत्तर देने की तारीख:18.07.2022

\

जवाहर नवोदय विद्यालय के कर्मचारियों के लिए पेंशन नियम

†52. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि 1 जनवरी 2004 को या उससे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारी/स्टॉफ नियमानुसार सीपीएस पेंशन (1972) पाने के हकदार नहीं हैं; और
(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख) : पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने दिनांक 01.05.1987 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया जिसके तहत सभी अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ़) लाभार्थी, जो 01.01.1986 को सेवा में थे, को पेंशन योजना में शामिल माना जाएगा जब तक कि विशेष रूप से सीपीएफ़ योजना के तहत रहने का विकल्प नहीं चुना जाता है। एनविएस के कर्मचारियों को 01.04.1988 से सीपीएफ़ योजना का लाभ दिया गया था। सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 का लाभ 01.01.2004 से पहले कार्यभार ग्रहण करने वाले एनविएस कर्मचारियों को देने के मामले पर मंत्रालय द्वारा समय-समय पर वित्त मंत्रालय और पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के परामर्श से विचार किया गया है। हालांकि इस पर सहमति नहीं बनी है, क्योंकि यह व्यय विभाग के दिनांक 16.03.2000 के निर्देशों के अनुसार भारत सरकार की नीतिगत व्यवस्था के विरुद्ध होगा। नई पेंशन योजना (अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) (एनपीएस), जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 01.01.2004 से लागू गई थी, को एनविएस के

नियमित कर्मचारियों पर 01.04.2009 से लागू किया गया था। जो कर्मचारी 01.04.2009 से पहले नियमित आधार पर एनविएस में कार्यभार ग्रहण किये हुए थे, उन्हें मौजूदा सीपीएफ़ योजना को जारी रखने या एनपीएस में शामिल होने का विकल्प दिया गया था। एनविएस के वे कर्मचारी जिन्होंने एनपीएस का विकल्प चुना है और एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, वे इस योजना के तहत शामिल लाभों के हकदार हैं। एनविएस के कर्मचारी उनके द्वारा प्रयोग किये विकल्प के संबंध में या तो सीपीएफ़ योजना या एनपीएस योजना के लाभों के हकदार हैं।

*****